दिनांक–20.06.2012 को श्री जीतन राम मांझी,माननीय मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–10 के अन्तर्गत अपर समाहर्त्ता स्तर के विशेष पदाधिकारी एवं लोक अभियोजको की राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाही :–

1–उपस्थिति– सलंग्न

2– माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अनुमति से सचिव, महोदय ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ किया गया।

3– सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया कि इस बैठक का मूख्य उद्देश्य अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के तहत् नियमावली, 1995 को प्रभावी ढंग से लागू करने में विशेष पदाधिकारियों एवं लोक अभियोजकों की भुमिका को स्पष्ट करना है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–40 दिनांक–02–01–2007 द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–10 के अन्तर्गत जिला स्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी को विशेष पदाधिकारी का कार्य करने के लिए नामित किया गया है परन्तु पिछले 5 वर्षों में किसी भी जिले से अपर समाहर्त्ता स्तर के विशेष पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो चिंता का विषय है।

4– सचिव द्वारा बताया गया कि नियम–1995 के नियम–10 के अनुसार अपर समाहर्त्ता स्तर के एक विशेष पदाधिकारी निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है :–

(I) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना तथा उन्हे अत्याचार से बचने के लिए आवश्यक उपाय करना,

(II) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियम या नियम तथा तैयार की गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उन्हे प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना,

(III) गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशाला का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

5– बैठक में विशेष पदाधिकारियों के रूप में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल न0 एवं प्रत्येक माह किये गये कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

5– माननीय विभागीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 लागू है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की धारा–4 के तहत यदि कोई लोक सेवक द्वारा, जो अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य नही है, अगर जानबूझ कर अपेक्षित कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने वाले के लिए दण्ड का प्रावधान है। विशेष पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहे।

उन्होंने बताया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक–10–04–2012 में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा नियमावली के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक लागू करने का निदेश दिया है।

उन्होंने अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2011 के तहत नियम 12(4)(21) के अनुसार राहत/अनुदान का भूगतान घटना के तुरत बाद पीड़ित को उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने एवं उसे लागू करने पर बल दिया।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

माननीय मंत्री महोदय ने निदेश दिया कि नियम–17 के आलोक में **''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक की जाय। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ जिलों में इस समिति की नियमित बैठकें आयोजित नहीं हो रही है। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जाती है।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

माननीय मंत्री महोदय ने निदेश दिया कि अत्याचार के मामलों में आरोपी/दोषी बरी न हो ताकि अत्याचार करनेवाले कानून/अधिनियम के प्रावधानों से उन्हें भय हो।

माननीय मंत्री महोदय ने निदेश दिया कि विज्ञापन के माध्यम से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) 2011 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी)

6— आरक्षी महानिरीक्षक, (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान बिहार द्वारा बताया गया कि आरक्षी अधीक्षकों को अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989, नियम—1995 एवं संशोधन नियम—2011 के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन अतिशीघ्र कराने हेतु विशेष पदाधिकारियों एवं लोक अभियोजकों से अनुरोध किया गयाा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अत्याचार से पीडित/पीडिता को दिये जाने वाले राहत अनुदान के दर में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसलिए अधिक—से—अधिक पीड़ित परिवारों को राहत राशि तुरत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए एवं इसका अनुश्रवण प्रत्येक माह होनी चाहिए। उनके द्वारा बताया कि प्रत्येक जिला में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना प्रारम्भ किये गये है। सभी विशेष पदाधिकारी (नोडल पदाधिकारी) अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना में दर्ज काण्ड सं0 की सूची पूर्ण विवरणी के साथ ई0—मेल/सी0डी0 के माध्यम से प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई हेतु अपने स्तर से पहल करें तथा प्रतिवेदन सरकार को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन— जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

7— प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। सरकार का लक्ष्य है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति को आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के साथ—साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करना है। इसके लिए अधिनियम/कानून पहले से ही बना हुआ है। इसको सक्रिय बनाने के लिए 10 जिलों से बढ़ाकर 40 पुलिस जिलों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इनमें से अधिकांश थाने गठित हो चुके है और सरकार ने यह भी कोशिश की है कि अनु0 जाति/अनु0 जनजाति थाना को साधन—संपन्न किया जा सके, ताकि अत्याचार के मामलें में त्वरित कार्रवाई किया जा सके। उन्होंने बताया गया कि पुलिस महानिरीक्षक, (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि अपराध जैसे— हत्या, बलात्कार, सामूहिक जनसंहार आदि को अलग रखते हुए स्पीडी ट्रायल (Speedy trial) और स्पीडी अपील(Speedy appeal) के माध्यम से निष्पादित कराया जाय। यदि आवश्यकता हो तो उसका स्पीडी अपील भी किया जाय। जिला स्तर पर Conviction Rate बढाने हेतु हर संभंव प्रयास किया जाय। उन्होंने सभी विशेष पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस कार्य में यदि कोई कठिनाई होती है तो वे प्रधान सचिव, गृह विभाग या प्रीता वर्मा, विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

(अनुपालन— पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)/विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग /जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

8—बैठक में विशेष पदाधिकारियों एवं लोक अभियोजकों द्वारा पृच्छा की गई कि यदि अत्याचार के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष साबित नही होता है तो मुआवजा पीड़ित को दिया जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) द्वारा बताया गया कि अधिनियम एवं नियम के तहत यदि अपराध हुआ है, लेकिन अपराध साबित नहीं हो पाता है तो भी एक निश्चित राशि मुआवजा के रूप में पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। पीड़ित/पीडिता को न्याय मिले, क्योंकि न्याय मिलने के बाद ही उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अपर समाहर्त्ता—सह—विशेष पदाधिकारी द्वारा गवाही देने के लिए आने वाले व्यक्तियों को कितना दैनिक भत्ता दिया जाये , इस संबंध में पृच्छा की गई।

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम—1995 के नियम—11 में अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण—पोषण व्यय और सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट किया गया है।

(अनुपालन— जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम एवं नियम के कार्यान्वयन में दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुश्रवण करने का निदेश दिया :—

(क) कितने मामलों में राहत राशि मिलनी थी और कितने मामलों में राहत राशि मिली? तथा

(ख) राहत की राशि कब मिली?

इस संबंध में विशेष पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, लोक अभियोजकों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के बीच समन्वय स्थापित कर पीड़ित/पीडिता को राहत राशि किसी भी योजना से उपलब्ध कराये एवं उसके बाद सरकार से राशि की मांग करें।

Conviction के बाद अत्याचार करने वाले अपराधियों की सम्पति जब्त की जाय। साथ ही अनु0जाति एवं अनु0जनजाति पर अत्याचार के मामलों में IPC, CrPC एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के साथ—साथ अनिवार्य रूप से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 की धारा—3 की सुसंगत उपधाराओं को अंकित किया जाय।

(अनुपालन— विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग /जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

पुलिस महानिरीक्षक, (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार ने बताया गया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध घटित होता है एवं राहत राशि दी जाती है तो इसकी सूचना विशेष न्यायालय को दिया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय यह समीक्षा कर सके कि जितनी राहत राशि पीड़ित को मिला है, वह पर्याप्त है या नहीं।

बैठक में पृच्छा की गई कि आत्महत्या के मामले में राहत राशि दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर पुलिस महानिरीक्षक, (क0व0) ने बताया कि अगर मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है तो अधिनियम–1989 एवं नियम–1995 के तहत मामला दर्ज कर उनके आश्रितों को राहत राशि मुआवजा दिये जाने पर बिचार करना चाहिए।

विधि विभाग से इस पर परामर्श प्राप्त कर मार्ग निर्देश दिया जाएगा।

अपर समाहर्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, भागलपुर ने अनुरोध किया कि किसी भी मामले में Charge sheet एवं Conviction बढाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाय क्योंकि अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद गवाह को मामले का स्पष्ट स्मरण भी नहीं रहता है और उसे डरा–धमका या आर्थिक लाभ देकर साक्ष्य/गवाह को गवाही से पीछे हटने पर भी मजबूर किया जाता है। साथ ही जिला स्तर पर एक विशेष कोषांग गठन करने के लिए कम्प्युटर (Computer), वाहन, सहायक इत्यादि की व्यवस्था करने का परामर्श दिया।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

अपर समाहर्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, औरगाबाद ने अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को भुदान जमीन, सरकारी जमीन, बासगीत पर्चा इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराई जाती है परन्तु बेदखली, भूमि विवाद एवं अत्याचार से संबंधित मामलों में IPC, CrPC एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के साथ–साथ अनिवार्य रूप से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा–3 की सुसंगत उपधाराओं (iv) या (v) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश सभी आरक्षी अधीक्षकों को दिया जाय।

(अनुपालन– प्रधान सचिव/सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग /जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी)

विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि किशनगंज में विशेष न्यायलय नही है। जिसके कारण पीडित/पीडिता को पूर्णियां विशेष न्यायलय जाना पडता है। अतः विधि विभाग से अनुरोध किया जाय कि किशनगंज में विशेष न्यायलय प्रारभ्भ किया जाय।

(अनुपालन– विधि विभाग)

विशेष लोक अभियोजक, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि जिला में विशेष न्यायलय के विशेष न्यायाधीश का पद रिक्त है। जिसके कारण पीडित/पीडिता को न्याय दिलाने में कठिनाई हो रही है।

(अनुपालन– विधि विभाग)

विशेष लोक अभियोजक, सीतामढी एवं अन्य के द्वारा बताया गया कि ''जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति' की बैठक में आरक्षी अधीक्षक नही आते है। इस पर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया जाय कि सभी आरक्षी अधीक्षक निर्धारित बैठक में भाग लेने के लिए निदेश भेजा जाय।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/विशेष पदाधिकारी /जिला कल्याण पदाधिकारी)

माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण भिाग द्वारा निदेश दिया गया कि आज की बैठक में अनुपस्थित अपर समाहर्ता–सह–विशेष पदाधिकारियों से जिला पदाधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा अनुपस्थित लोक अभियोजकों के संबंध में विधि विभाग एवं जिला पदाधिकारियों को सूचना दी जाय। माननीय मंत्री महोदय ने अनुपस्थित पदाधिकारियों के लिए अलग से बैठक की तिथि निर्धारित करने एवं अपर समाहर्ता–सह–विशेष पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक की बैठक नियमित रूप से आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के क्रियान्वयन पर अपर समाहर्ता–सह–विशेष पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक सजग रहे एवं संबंधित मामलों के निष्पादन में विशेष अभिरूचि लेकर कार्य करें।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात माननीय मंत्री, की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24.7.12

निदेशक,

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 पटना, दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 पटना, दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री / आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 पटना, दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 पटना, दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,/विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी)विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप निरीक्षक/निदेशक,समाज कल्याण/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,/निदेशक, आई0सी0डी0एस0/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 1/पी0सी0आर0(विविध)09–10/12 1603 पटना, दिनांक– 26/7/12

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, 189,बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/7/12

सरकार के अवर सचिव

Proceeding 20.06.12